28

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति और नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

28

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति और नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब

(24.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2023/ चैत्र, 1945 (शक)

सीओएसएल सं. 120 Vol.II

मूल्य**:** रू.

(C) 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (चौदहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड़, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

विषय सूची

पृष्ठ सं.

समिति की संरचना..... (ii)

प्राक्कथन..... (iii)

प्रतिवेदन

भाग - एक

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति और नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब 1

भाग - दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 10

परिशिष्ट

एक. मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति 15

दो. समिति (2021-2022) की 28.09.2022 को हुई चौंतीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश। 16

तीन. समिति (2022-2023) की 23.03.2023 को हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश से उद्धरण। 18

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की संरचना

(2022-2023)

श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
3. श्री पिनाकी मिश्रा
4. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडे
5. श्री चंदेश्वर प्रसाद
6. श्री एन.के. प्रेमचंद्रन
7. श्री सुरेश पुजारी
8. श्री ए. राजा
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. श्री संजय सेठ
11. डॉ. अमर सिंह
12. श्री बृजेन्द्र सिंह
13. श्री सु. थिरुनवुक्करासर
14. श्री राम कृपाल यादव
15. श्री अरविन्द गणपत सावंत

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री मुरलीधरन पी.	-	निदेशक
3.	श्रीमती जागृति तेवतिया	-	अपर निदेशक
4.	श्री सतीश कुमार	-	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मै, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह अट्ठाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. इस प्रतिवेदन में विचार किए गए विषयों पर अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की 28.09.2022 को हुई बैठक में विचार किया गया था जिसके दौरान मत्स्यपालन**,** पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्यपालन विभाग के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया गया।

3. समिति ने 23.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

4. सन्दर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों/सिफ़ारिशों को प्रतिवेदन के भाग दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

5. समिति (2021-22) की 28.09.2022 को हुई चौंतीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश और समिति (2022-23) की 23.03.2023 को हुई बारहवीं बैठक के कार्यवाही सारांश का उद्धरण, जो इस प्रतिवेदन से संबंधित है को, प्रतिवेदन के परिशिष्ट-II और III में शामिल किया गया हैं।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

प्रतिवेदन
भाग –I

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति और नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब

क. प्रस्तावना

एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में, सरकारी गतिविधि मानव प्रयास के लगभग हर क्षेत्र में व्याप्त है, इस प्रकार, इस निरंतर व्यापक गतिविधि को विनियमित करने के लिए विविध कानूनों के अधिनियमन की आवश्यकता है। हालांकि, विधानमंडल के पास कानून के हर विवरण पर विचार-विमर्श, चर्चा और अनुमोदन के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। इसके अलावा, विधायिका के लिए भविष्य की सभी आकस्मिकताओं की भविष्यवाणी करना मुश्किल है और कार्यकारी अधिकारियों को परिस्थितियों से निपटने के लिए लचीलेपन की आवश्यकता हो सकती है। इस स्थिति में, विधायिका क्या करती है, और क्या कर सकती है, कि किसी कानून की नीति और उद्देश्य को विहित करे और, उन सिद्धांतों के अनुरूप, आदेशों/नियमों के रूप में विधिक उपाय के औपचारिक और प्रक्रियात्मक विवरणों को निरूपित करने का कार्य कार्यपालिका पर छोड़ देना चाहिए जिसे अधीनस्थ विधान के रूप में जाना जाता है।

(i) "अधीनस्थ विधान" पद का अर्थ

1.2 "अधीनस्थ विधान "शब्द सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 20और 21में संदर्भित अधिसूचनाओं, आदेशों, योजनाओं, नियमों और उप-नियमों को संदर्भित करता है। भारतीय संदर्भ में, अधीनस्थ विधान शब्द का तात्पर्य संसद अथवा संविधान के अधिनियम के अंतर्गत निरूपित किए गए किसी भी नियमों, विनियमों, आदेशों, योजनाओं, उप-नियमों, विधियों, अध्यादेशों, अधिसूचनाओं या लिखितों से है। ऐसे अधीनस्थ विधानों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाना चाहिए, जिससे संसद सदस्यों को यह अवसर मिलता है कि यदि वे चाहें तो ऐसे "आदेश "में संशोधन या सुधार प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) अधीनस्थ विधान संबंधी समिति और इसकी भूमिका

1.3 चूंकि अधीनस्थ विधान, संविधि का एक महत्वपूर्ण घटक तत्व बन गया है, अतः यह निगरानी और जांच करने के लिए कि अधीनस्थ विधान, अधिनियम अथवा संविधान की भावना के अनुरूप है और साथ ही संसद या संविधान तहत के अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान की गई शक्तियों के अनुरूप कार्यपालिका पर उचित नियंत्रण रखने के लिए भी विधायिका की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है। विधान, संसद का एक अंतर्निहित और अविभाज्य अधिकार है और उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि अधीनस्थ विधान की आड़ में इस शक्ति को हडप न लिया जाए और न ही इसका अतिक्रमण किया जाए। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक सभा एक ऐसा ही साधन है और इसका गठन इस बात की संवीक्षा करने और सदन को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजित नियम, विनियम, उप-नियम, योजनाएं या अन्य सांविधिक लिखत तैयार करके शक्तियों को इस प्रकार प्रदान किया जाना या प्रत्यायोजन, जैसा भी मामला हो, के भीतर ठीक से प्रयोग किया गया है।

1.4 यह महत्वपूर्ण है कि विधायिका को आवश्यक विधायी कार्यों को अपने पास निहित रखना चाहिए जिसमें विधायी नीति की घोषणा करना और विधि शासन के तहत अधिनियमित किए जाने के लिए मानक निर्धारित करना शामिल है, और ऐसा कार्य जिन्हें प्रत्यायोजित किया जा सकता है इनमें अधीनस्थ विधान संबंधी कार्य हैं जिनकी स्वयं की प्रकृति संविधि का सहायक के रूप में है जो इसे तैयार करने की शक्ति प्रदान करती है।

ख. <u>नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने संबंधी सांविधिक अपेक्षा</u>

1.5 कार्यपालिका द्वारा स्वेच्छ शक्तियों के अभिग्रहण करने के विरूद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों में से एक यह है कि कार्यपालिका द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियमों को न केवल विधायिका के समक्ष रखा जाना चाहिए, बल्कि विधायिका के पास इन्हें रद्द करने या संशोधित करने का वैधानिक अधिकार भी होना चाहिए। समिति ने, नियम बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयकों में समाविष्ट करने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों को स्वीकृति दी:-

" इस अधिनियम के अधीन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र ,संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष ,जब वह सत्र में हो ,कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाए ,जो एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन या उसे निष्प्रभावी करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्त्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

(i) <u>नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने हेतु समय सीमा</u>

1.6 समिति ने छठे प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) के पैरा 38 में की गई अपनी सिफारिशों में से एक में निम्नवत् सिफारिश की है:-

"समिति यह दोहराना चाहेगी कि सभी मंत्रालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन के समक्ष रखे जाने वाले सभी 'आदेश' को यदि सदन सत्र में हो तो राजपत्र में प्रकाशन के 15दिनों की अवधि के अंदर सदन के समक्ष रखे जाएं, और यदि सदन सत्र में नहीं हो, तो 'आदेश' अनुगामी सत्र के प्रारंभ होने पर यथाशीघ्र)किंतु 15दिनों के अंदर (सदन के पटल पर रखे जाएं।

समिति चाहती है कि संबंधित मंत्रालय सदन के पटल पर ऐसे प्रत्येक 'आदेश' को रखने में हुए विलंब के कारणों को स्पष्ट करते हुए उन्हें प्रस्तुत करें।"

(ii) <u>संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली में उपबंधों को सभा पटल पर रखना</u>

1.7 संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के अनुसार, प्रकाशन के बाद, नियमों आदि को यथासमय शीघ्र सभा पटल पर रखा जाएगा और, किसी भी अवस्था में 15 दिन (राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य से संबंधित अधिसूचनाओं के मामले में 30 दिन) के भीतर ऐसा किया जाएगा और इस अवधि की गणना:

(क) यदि सदन का सत्र चल रहा हो तो सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशित किए जाने की तारीख से; अथवा

(ख) यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा हो तो, अगले सत्र के प्रारंभ होने की तारीख से की जाएगी।

1.8 तथापि, ऐसे विस्तृत दिशा-निर्देशों के रहने के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समिति की सिफारिशों का उल्लंघन किया जा रहा है। कई मामलों में मंत्रालय अपने विलंब के लिए क्षमा मांगते हैं और समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों को भविष्य के अनुपालन के लिए नोट किया जाता है और समिति द्वारा इंगित किए जा रहे नियमों में कमियों को भी दूर किया जाता है।

1.9. तदनुसार इस सचिवालय के दिनांक 25.10.2021 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग को उनके द्वारा तैयार किए गए नियमों/विनियमों की स्थिति के बारे में बताने के लिए कहा गया। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधानों को तैयार करने की स्थिति से संबंधित मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.11.2021 के पत्र द्वारा प्रस्तुत विवरण (संलग्नक) के अवलोकन पर, यह पाया गया कि समिति की बारंबार की गई सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है। समिति ने पाया कि विभाग ने अधिनियम के शिलान्यास की तारीख और उन धाराओं के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी है जिनके तहत नियम और विनियम नहीं बनाए गए हैं। विभाग ने अपनी स्थिति में केवल "उपलब्ध नहीं" या "फ़ाइल का पता लगाने योग्य नहीं" का उल्लेख किया है।"

1.10 समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है और दिनांक 28 सितंबर, 2022 को मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ अधीनस्थ विधान अर्थात् मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए नियमों/ विनियमों आदि की स्थिति पर संक्षिप्त जानकारी देने के लिए एक बैठक आयोजित की।

ग. <u>मत्स्यपालन विभाग का संक्षिप्त विवरण</u>

(i) उद्देश्य और लक्ष्य

1.11 मत्स्यपालन विभाग का लक्ष्य देश में एक स्थायी, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से मत्स्य संसाधनों का विकास और प्रबंधन करना है। विभाग का मिशन मूल्य श्रृंखला (वैल्यू चैन) का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण, पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन और गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ विस्तार, गहनीकरण, विविधीकरण और भूमि और जल संसाधनों के सही उपयोग के माध्यम से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना है। मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1/21/21/2018-कैब दिनांक 5 फरवरी, 2019 के तहत मत्स्यपालन विभाग को तत्कालीन पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से अलग करके एक पृथक विभाग बनाया गया था।

(ii) कार्यकरण

1.12 मत्स्यपालन विभाग अपने चार अधीनस्थ संस्थानों और एक स्वायत्त निकाय और एक विनियामक प्राधिकरण सहित अंतर्देशीय, समुद्री और तटीय मात्स्यिकी संस्थानों के विकास से संबंधित नीतियों और योजनाओं को तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी है। विभाग, मात्स्यिकी के क्षेत्र में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को परामर्श प्रदान करता है। क्रियाकलापों का मुख्य बल निम्नवत पर दिया जाता है:

(क) मीठे पानी और खारे पानी में जलीय कृषि का विस्तार
(ख) समुद्री मात्स्यिकी संसाधनों का संरक्षण और स्थायित्व
(ग) समुद्री कृषि, समुद्री शैवाल की खेती, केज कल्चर, आरएएस, सजावटी मात्स्यिकी, शीत जल मात्स्यिकी और मात्स्यिकी व्यापार को बढ़ावा देना
(घ) महिला मछुआरों सहित मछुआरों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
(ङ) गहरे समुद्र में मात्स्यिकी संसाधनों का उपयोग
(च) अंतर्देशीय मात्स्यिकी का विकास और प्रबंधन
(छ) जलीय क्वारंटाईन नेटवर्क की स्थापना

(iii) विभाग हेतु अधिदेश

1.13 कार्य आवंटन नियमावली, 1961 के अनुसार मत्स्यपालन विभाग को आवंटित विषयों की सूची इस प्रकार है:

(क) उद्योग, जिसे कानून के तहत, संसद द्वारा, संघ के नियंत्रण में, सार्वजनिक हित के लिए समीचीन घोषित किया गया है और जो मत्स्य फ़ीड और मत्स्य उत्पादों के विकास से संबंधित हैं, इस परिसीमन के साथ कि उद्योगों के विकास के संबंध में मत्स्यपालन विभाग के कार्य मांग निर्धारण और लक्ष्य निर्धारण तक सीमित रहेंगे ।

(ख) मत्स्यन और मात्स्यिकी अंतर्देशीय, समुद्री और क्षेत्रीय जल/टेरिटोरियल वाटर्स से आगे (का संवर्धन और विकास और इससे जुड़ी गतिविधियाँ, जिसमें बुनियादी ढाँचा विकास, विपणन, निर्यात और संस्थागत व्यवस्था आदि शामिल हैं ।

(ग) मछुआरों का कल्याण और उनकी आजीविका को मजबूत करना ।

(घ) मात्स्यिकी विकास से संबंधित मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग ।

(ङ) मात्स्यिकी सांख्यिकी; प्राकृतिक आपदाओं के कारण मत्स्य भंडार के नुकसान से संबंधित मामले ।

(च) मत्स्य भंडार का आयात, संगरोध)क्वारंटाइन (और प्रमाणन का विनियमन ।

(छ) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई ।

(ज) एक राज्य से दूसरे राज्य में मत्स्य को प्रभावित करने वाले संक्रामक या स्पर्शजन्य रोगों या कीटों के प्रसार की रोकथाम के संबंध में कानून ।

(झ) राज्य एजेंसियों/सहकारी संघों के माध्यम से विभिन्न राज्य उपक्रमों, मात्स्यिकी विकास योजना को वित्तीय सहायता के पैटर्न के संबंध में विधान ।

(ञ) मत्स्य भण्डार का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार और उसके रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास

(ट) मत्स्य भंडारण का बीमा

(iv) विभाग द्वारा नियमों और विनियमों को तैयार किया जाना/सभा पटल पर रखा जाना

1.14 दिनांक 28.09.2022 को समिति के समक्ष मत्स्यपालन विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दी गई ब्रीफिंग के दौरान, समिति ने मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया था:-

(i) विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों/संशोधन;

(ii) विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के विधान की प्रत्यायोजित शक्ति का विवरण;

(iii) विभाग या भारत के संविधान के अनुच्छेद -समय) द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों 309 विनियमों के निरूपण की स्थिति/के अंतर्गत नियमों (समय पर यथासंशोधित;

(iv) बनाए जाने वाले लंबित नियमों/विनियमों की स्थिति और उन्हें बनाने में देरी के कारण;

(v) विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियम के तहत नियम/विनियम बनाने के लिए विभाग द्वारा लोकसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों से मांगे गए विस्तार का विवरण;

(vi) विभिन्न अधिनियमों/संशोधन अधिनियमों के तहत बनाए गए सभी नियमों/विनियमों को रखने की स्थिति; और

(vii) विभाग द्वारा अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों/विनियमों को लोकसभा के पटल पर रखने में देरी के मामले।

1.15 दिनांक 28.09.2022 को आयोजित **'**ब्रीफिंग**'** बैठक के दौरान**,** विभाग के प्रतिनिधि ने समिति को अवगत कराया कि मत्स्यपालन विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित किया जाता है:-

(क) **तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005**: तटीय क्षेत्रों में तटीय जलीय कृषि से जुड़ी गतिविधियों को विनियमित करने के लिए; और

(ख) **भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य न का विनियमन) अधिनियम,1981:**भारतीय जल में विदेशी जहाजों द्वारा मछली पकड़ने को विनियमित करने के लिए **।**

1.16 आगे यह नोट किया गया कि नीचे दिए गए विवरण के अनुसार उपरोक्त अधिनियमों के तहत निम्नलिखित नियम/विनियम बनाए गए हैं और सदन के पटल पर रखे गए हैं:-

क्र. सं.	**अधिनियम का नाम**	**बनाए गए नियम/विनियम**	**सभापटल पर रखने की तिथि**
(क)	तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005	दिनांक 22.12.2005 के जी.एस.आर 740(ई) के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005	10.03.2006
		दिनांक 08.03.2008 की अधिसूचना के माध्यम से तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम**,** 2008	--
		तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022	29.07.2022
(ख)	भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य न का विनियमन) अधिनियम,1981:	भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) नियम, 1982	04.11.1982

1.17 मत्स्यपालन विभाग ने विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों के तहत बनाए गए नियमों की स्थिति का ब्यौरा देते हुए ,दिनांक 15.11. 2021के कार्यालय ज्ञापन संख्या एच-2021/3/11026-एफवाई)पार्ला (.के माध्यम से भारत का सामुद्रिक क्षेत्र)विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन(अधिनियम ,1981 ,की संगत नियम बनाने की धाराओं के तहत टिप्पणी की थी कि जिन धाराओं के तहत नियम बनाए जाने है वे लागू नहीं है जबकि**,** इसके विपरीत**,** विभाग ने भारत का सामुद्रिक क्षेत्र)विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन(नियम**,** 1982 (एमजेडआई**,** नियम 1982**)** को दिनांक 26 अगस्त**,** 1982 को अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया है।

1.18 जब अधिनियम के तहत नियम बनाए जाने पर 'एनए' से स्पष्टीकरण मांगा गया**,** तो विभाग ने उल्लेख किया कि **'**भारत का सामुद्रिक क्षेत्र)विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन (नियम 1982 , को 26.08. 1982को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अलावा ,तटरक्षक अधिनियम 1978 , के तहत गठित तटरक्षक का कोई भी अधिकारी 1978)का ,(30या सरकार के ऐसे अन्य अधिकारी जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत हो ,एमजेडआई अधिनियम 1981 ,और उसके तहत अधिसूचित नियमों के तहत एमजेडआई अधिनियम1981 , और एमजेडआई के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत है। विभिन्न अपराधों के लिए एमजेडआई अधिनियम 1981 ,की धारा ,15 ,14 ,13 ,12 ,10 16और 17के तहत अपराधों और दंड को भी परिभाषित किया गया है और इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतियों के लिए तटरक्षक और संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र)यूटी (प्रशासन से अनुरोध किया गया है।'

1.19 **भारत का सामुद्रिक क्षेत्र)विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन (अधिनियम, 1981** की धारा 25, जो केन्द्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है, निम्नानुसार है:-

*"25. **नियम बनाने की शक्ति**)-1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।*

(2) विशिष्टितया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् -:

(क) वह प्ररूप जिसमें कसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापन के लिए आवेदन किया जा सकेगा और यह फीस जो ऐसे आवेदन के साथ संलग्न होगी;

(ख) वे विषय जिन पर अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र की मंजूरी के समय विचार किया जाएगा :

(ग) अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र का प्ररूप और वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन ऐसी अनुज्ञप्ति और अनुज्ञापत्र मंजूर किए जा सकेंगे;

(घ) वह रीति जिसमें विदेशी जलयान का मत्स्यन संभार धारा 7 के अधीन भरा रखा जाएगा;

(ङ) वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन किसी विदेशी जलयान को कोई वैज्ञानिक अनुसंधान या अन्वषेण करने के प्रयोजन के लिए या धारा 8के अधीन प्रायोगिक आधार पर मत्स्यन के लिए किसी भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र के भीतर मत्स्यन के लिए उपयोग किए जाने की अनुज्ञा दी जा सकेगी;

(च) वह प्ररूप जिसमें धारा 9 की उपधारा)4) के खण्ड)क (के प्रथम परन्तुक के अधीन अभिगृहीत जलयान या अन्य चीजों के निर्मोचन के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

(छ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए।"

1.20 मात्स्यिकी विभाग ने भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य न का विनियमन) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत नियम/विनियम तैयार करने की अपनी स्थिति में बताया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत सभी नियमों को दिनांक 26-08-1982 को पहले ही अधिसूचित किया जा चुका हैं। तथापि**,** भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य न का विनियमन) अधिनियम, 1981 की संवीक्षा करने पर यह पाया गया है कि धारा-25 की उपधारा 2 के खंड (च) के अंतर्गत यथा अपेक्षित आवेदन के प्रपत्र भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य न का विनियमन) अधिनियम, 1981 में शामिल नहीं है। अधिनियम के संगत उपबंध अर्थात धारा 9 (4) **(**क) को निम्नानुसार पुन: उद्धृत किया गया है:**–**

"9. प्राधिकृत अधिकारी और उनकी शक्तियां:—

(1) & (3) xxx xxx xxx xxx

(4) जहाँ उपधारा (2) के अधीन कोई जलयान या अन्य चीजें अभिगृहीत की जाती है या कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है वहां,-

(क) इस प्रकार अभिगृहीत जलयान या अन्य चीजें यथासम्भव शीघ्र इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की जाएंगी जो ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियोजन के लिए किन्हीं कार्यवाहियों के पूर्ण होने तक सरकार के पास या किसी अन्य प्राधिकारी के पास ऐसे जलयान या चीजों के प्रतिधारण या अभिरक्षा के लिए या ऐसे प्रतिधारण या अभिरक्षा के दौरान ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो मजिस्ट्रेट अधिरोपित करना ठीक समझे, ऐसे प्राधिकारी द्वारा उसके उपयोग के लिए ठीक समझे:

परन्तु मजिस्ट्रेट ऐसे जलयान के स्वामी या मास्टर द्वारा विहित प्ररूप में आवेदन किए जाने पर इस प्रकार अभिगृहीत जलयान या चीजों के मूल्य की कम से कम पचास प्रतिशत रकम के लिए नकद या बैंक प्रत्याभूति के रूप में प्रतिभूति स्वामी या मास्टर द्वारा दिए जाने पर इस प्रकार अभिगृहीत जलयान या अन्य चीजों के निर्मोचन का आदेश दे सकेगा:

परन्तु यह और कि जहां इस प्रकार अभिगृहीत कोई मछली छयशील है वहां मजिस्ट्रेट ऐसी मछली के विक्रय को और ऐसे विक्रय आगमों को न्यायालय में निक्षिप्त करने को प्राधिकृत कर सकेगा;

*(**ख**) xxx xxx xxx xxx*

घ. अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यकरण हेतु सांविधिक ढांचा

1.21 विभाग ने अपने पृष्ठभूमि टिप्पण में जानकारी दी कि विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत चार मत्स्य संस्थान चल रहे हैं, जो निम्नवत हैं:-

(**एक) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण**, **मुंबई:** भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण (एफएसआई) की स्थापना 1946 में भारत सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मात्स्यिकी विकास के माध्यम से खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से गहरे समुद्र के लिए फिशिंग स्टेशन (डीएसएफएस) के रूप में जानी जाने वाली एक पायलट परियोजना के रूप में की गई थी। संस्थान ने एक छोटी सी शुरुआत की, 'एसटी मीना' नामक एक जहाज को - एक सुरंग हटाने वाले जहाज को एक ट्रॉलर में परिवर्तित करके अपनी गतिविधियों की शुरुआत की । डीएसएफएस का मुख्य उद्देश्य मत्स्यनस्थानों का मानचित्रीकरण करना और गहरे समुद्र में मत्स्यनकरने वाले कर्मियों को प्रशिक्षित करना था।

(**दो) केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान**, **केरल**: भारत सरकार ने 1959 में मात्स्यिकी विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मानवशक्ति की आवश्यकता का आकलन करने और प्रशिक्षित मानवशक्ति प्रदान करने के उपायों का सुझाव देने के लिए "मात्स्यिकी शिक्षा" पर एक समिति का गठन किया । सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑपरेटिव्स (सीआईएफओ) की स्थापना 1963 में कोच्चि में उपरोक्त समिति की सिफारिश पर समुद्र में जाने वाले मत्स्यन जहाजों और मत्स्यन उद्योग में प्रशिक्षित मानवशक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी । सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज ऑपरेटिव्स (सीआईएफओ) को बाद में 1976 में केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट) का नाम दिया गया था। इसके बाद, देश के मत्स्यन बेड़े/उद्योग के विस्तार के कारण उत्पन्न अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिफनेट की एक इकाई 1968 में चेन्नई में और 1981 में विशाखापत्तनम में एक अन्ययूनिट की स्थापना की गई थी। तबसे, सिफनेट समुद्र में जानेवाले / गहरे समुद्र में मत्स्यन जहाजों को चलाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित मानवशक्ति को तैयार कर राष्ट्र की सेवा कर रहा है।

(**तीन) केंद्रीय मात्स्यिकी तटवर्ती इंजीनियरिंग संस्थान(साईसीईएफ)**, **बेंगलुरु:** संस्थान की स्थापना जनवरी, 1968 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ/यूएन) के सहयोग से तत्कालीन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मत्स्यपालन पबंदरगाहों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण (पीआईएसएफएच) के रूप में की गई थी। संस्थान की स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य इंजीनियरिंग और आर्थिक जांच करना और भारतीय तट के साथ उपयुक्त स्थलों पर मत्स्य बंदरगाहों के विकास के लिए तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना और मशीनीकृत मछली पकड़ने के जहाजों (एमएफवी) को मत्स्य बंदरगाह सुविधाएं प्रदान करना था।

(**चार) राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान**, **कोच्चि:** राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट-हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी तथा प्रशिक्षण संस्थान (निफेट), कोच्चिजिसे पहले 2008 तक इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट (आईएफ़पी) के रूप में जाना जाता था, केरल के कोच्चि में स्थित है और मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के संलग्न कार्यालयों में से एक है। इसे मुख्य रूप से प्रक्रिया और उत्पाद विविधीकरण के माध्यम से मूल्य वर्धित उत्पादों को विकसित करने अधिदेश दिया गया है; प्रौद्योगिकी विकास और उसे ग्रामीण मछुआरा समुदाय के लाभार्थियों को हस्तांतरण; क्षमता निर्माण और और कम मूल्य, अपरंपरागत प्रजातियों और मौसमी रूप से प्रचुर मात्रा में मछलियों सहित मछली की किस्मों के मूल्य वर्धित उत्पादों को लोकप्रिय बनाना और उनकी टेस्ट मार्केटिंग। यह संस्थान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों सहित जरूरतमंद संगठनों / संस्थानों से मांग / अनुरोध के आधार पर फिश हैंडिलिंग, प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन, उप-उत्पाद (बाइ प्रॉडक्ट) तैयार करने आदि पर अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करता है।

(i) भर्ती नियम तैयार करना

1.22 समिति पाती है कि इन 4 संस्थानों में विभिन्न पदों के भर्ती नियम, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और इन्हें भारत के राजपत्र के भाग-II धारा 3 (i) में भी अधिसूचित किया जा रहा है। इन अधिनियमों, जिनके अंतर्गत ये संस्थान कार्य कर रहे हैं, के प्रत्युत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार एक लिखित उत्तर दिया है :-

"उपर्युक्त उल्लिखित कोई भी संगठन संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत कार्य नहीं कर रहा है। संगठनों के विभिन्न पदों के भर्ती नियम संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए हैं और इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।"

1.23 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से इस सचिवालय दिनांक 24.01.2023 के का.ज्ञा. संख्या 11/38/सीओएसएल/2022 कि क्या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत पीएसयू, संस्थान, स्वायत्त निकाय, स्वतंत्र सोसाइटी या कोई अन्य संगठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अपने भर्ती नियमों को तैयार और अधिसूचित कर सकते हैं। जिसके उत्तर में डीओपीटी ने के अपने दिनांक 07.02.2023 के का.ज्ञा.संख्या एच-11013/02/2023-पार्ल माध्यम से निम्नलिखित जानकारी दी :–

> *"सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, संस्थाओं, स्वायत्त निकायों, स्वतंत्र सोसाइटियों अथवा किसी अन्य संगठन के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियम संसद की संविधि/अधिनियम के उपबंधों अथवा उन उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएंगे जिनके माध्यम से वे अस्तित्व में आए थे।"*

1.24 यह कहना संदर्भ के प्रतिकूल नही होगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 में यह उपबंध है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित विधान-मंडल के अधिनियम संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेंगे: परंतु जब तक इस अनुच्छेद के अधीन समुचित विधानमंडल के - तब तक अधिनियम द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त उपबंध नहीं किया जाता है, यथास्थिति, संघ के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों की दशा में राष्ट्रपति या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे और राज्य के कार्यकलाप से संबंधिति सेवाओं और पदों की दशा में राज्य का राज्यपाल या ऐसा व्यक्ति जिसे वह निदिष्ट करे, ऐसी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनापे के लिए सक्षम होगा और इस प्रकार बनाए गए नियम किसी ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे।अतः, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 309 का परंतुक तब तक अस्थायी है जब तक कि यह उपबंध किसी अधिनियम में नहीं किया जाता और आने वाले समय के लिए नहीं है।

(ii) अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत बनाए गए भर्ती नियमों को सभा पटल पर रखना

1.25 प्रत्येक सदन के पटल पर नियमावली आदि को रखने की प्रक्रिया के संबंध में संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका के पैरा संख्या 11.5.4 के अनुसार निम्नवत पण्ति है:-

(i) राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने वाला प्रशासकीय मंत्रालयविभाग / के अधीन अथवा इसके अतिरिक्त किसी प्रक्रिया द्वारा जहां भी आवश्यक हो राजपत्र की अधिसूचना नियम को प्रस्तुत करने तथा परिचालन हेतु स्वयं उत्तरदायी होगा।

(ii) चूंकि राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी अधिसूचनाओं को तुरंत कार्यालय की वेबसाईट www.egazette.nic.in पर अपलोड कर दिया जाता है, इसलिए राजपत्र में प्रकाशित इन अधिसूचनाओं के डाउनलोडेड इलेक्ट्रानिक रूप के साथसाथ इनके डाउनलोडेड और मुद्रित रूप - को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और 8 के अनुसार सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए इलेक्ट्रानिक प्रकार के रूप में समझा जाएगा।

(iii) लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को सभी सांविधिक आदेशों की तीन मुद्रित प्रतियां उपलब्ध करायी जाएंगी और ई-गजट प्रारूप में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ-ही-साथ उसकी सॉफ्ट प्रति क्रमश: cosl&lss@sansad.nic.inr या rsc1sub@sansad.nic.in ई-मेल पर भेज दी जाएगी जिसमें संवीक्षा करने तथा अभिलेखों को अद्यतन रखने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत तैयार नियम और राजपत्र की धारा 3(i), 3(ii) और 4 के भाग ii के तहत प्रकाशित नियम शामिल होंगे।

(iv) पूर्वव्यापी सांविधिक आदेशों में संशोधन से संबंधित अधिसूचनाओं के मामले में संबंधित मंत्रालय को उपयुक्त अनुबंध के माध्यम से संगत उपबंधों के उन सारसंक्षेप को भी प्रस्तुत करना चाहिए। जिन्हें - त किया गया है।उनकी संवीक्षा के दौरान संदर्भ के लिए उक्त अधिसूचना द्वारा संशोधि

(v) सांविधिक आदेश, विशेषकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत अधिसूचित आदेशों को संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वे मंत्रालय इसके गैर.अनुपालन की स्थिति में उत्तरदायी होंगे-

1.26. उपर्युक्त संदर्भ में, जब यह पूछा गया कि क्या ये भर्ती नियम सभा पटल पर रखे जा रहे हैं, तो मत्स्यपालन विभाग ने निम्नानुसार जानकारी दी:-

"इन पदों के भर्ती नियमों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख जाना अपेक्षित नहीं है।"

1.27 इसके अलावा, मात्स्यिकी विभाग ने समिति को यह भी अवगत कराया कि उपर्युक्त संस्थानों के भर्ती नियम डीओपीटी, यूपीएससी और विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से तैयार/संशोधित किए जा रहे हैं, जैसा कि समय-समय पर डीओपीटी के निदेशों के तहत यथा अपेक्षित है।

1.28 कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से इस सचिवालय दिनांक 24.01.2023 के का. ज्ञा. संख्या 11/38/सीओएसएल/2022 के माध्यम से आगे यह पूछा गया था कि क्या अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए भर्ती नियम, सभा के पटल पर रखा जा रहा है। जिसके उत्तर में, डीओपीटी ने दिनांक 07.02.2023 के ओ.एम. एच-11013/02/2023-पार्ल माध्यम से निम्नलिखित जानकारी दी : –

"....भर्ती नियम, सांविधिक स्वरूप के हैं, उसकी अधिसूचना की प्रतियां संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है ... चूंकि संविधान का अनुच्छेद 309, जिसके अंतर्गत इन्हें तैयार किया गया है, इन्हें सभा पटल पर रखने हेतु विहित नहीं करता है।

भाग –II

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियमों के अंतर्गत नियमों/विनियमों को तैयार करने/ रखने संबंधी

2.1 मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग को उनके द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों की स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। इसके उत्तर में, विभाग ने अपने दिनांक 15.11.2021 के पत्र के माध्यम से विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान तैयार करने की स्थिति के बारे में जानकारी दी। स्थिति की जांच करते समय, समिति ने पाया कि विभाग ने अधिनियमों, यथा (i) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम (न का विनियमनविदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य),1981; और (ii) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंध में अधूरी जानकारी प्रस्तुत की है। समिति यह नोट करके चिंतित है कि विभाग ने लोकसभा में नियमों और विनियमों को रखे जाने की तिथि के लिए निर्धारित प्रपत्र के कॉलम 7 में "लागू नहीं" या "फ़ाइल की जानकारी नहीं" जैसी टिप्पणियों के साथ लापरवाह पूर्ण ढंग से जानकारी प्रस्तुत की है। इसलिए, समिति का विचार है कि संसदीय समिति को, लापरवाहपूर्ण ढंग से अधूरी जानकारी देना, तथा नियमों/विनियमों को तैयार करने/रखने और अधीनस्थ विधान का रिकॉर्ड रखने में लापरवाही विभाग के अत्यंत ढुलमुल रवैये को दर्शाता है।

2.2 समिति ने इस तथ्य का संज्ञान लेते हुए, मंत्रालय द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों/विनियमों की स्थिति के बारे में 28.09.2022 को मत्स्यपालन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक ब्रीफिंग की। ब्रीफिंग के दौरान, मत्स्यपालन विभाग ने बताया कि तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तीन नियम/विनियम बनाए गए हैं और भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम (न का विनियमनविदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य), 1981 के अंतर्गत एक नियम बनाया गया है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

क्रम संख्या	तैयार किए गए नियम/ विनियम	सभा पटल पर रखे जाने की तारीख
(i)	तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 देखिए दिनांक 22.12.2005 का सा.का.नि. 740(अ)	10.03.2006
(ii)	तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियमन, 2008 देखिए दिनांक 08.03.2008 की अधिसूचना	--
(iii)	तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022	29.07.2022
(iv)	भारत का सामुद्रिक क्षेत्र न विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य) (का विनियमननियम, 1982	04.11.1982

2.3 उपरोक्त से समिति यह नोट करती है कि विभाग द्वारा अधिसूचित कुल 4 नियमों/विनियमों में से विभाग ने केवल 3 नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखे जाने की तारीख का उल्लेख किया है। "तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियमन, 2008" को सभा पटल पर रखे जाने की तारीख के बारे में जानकारी देने वाले कॉलम को खाली छोड़ दिया गया है जो निर्धारित समय के भीतर संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधीनस्थ विधान को प्रस्तुत करने संबंधी वैधानिक दायित्व को पूरा करने की दिशा में विभाग के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। इस प्रकार, समिति यह सिफारिश करती

है कि विभाग सदन में यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के 3 महीने के भीतर, उसके द्वारा प्रशासित/कार्यान्वित किए जा रहे सभी अधिनियमों के संबंध में तैयार किए गए और दोनों सदनों के सभा पटल पर रखे गए सभी नियमों/विनियमों की अंतिम अद्यतन स्थिति, से समिति को अवगत कराए।

<u>भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम (न का विनियमनविदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य),1981 के अंतर्गत नियम नहीं बनाए जाने के संबंध में</u>

2.4 समिति पाती है कि भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (न का विनियमनविदेशी जलयानों द्वारा मत्स्य) अधिनियम, 1981 की धारा 25 (2) (च) केंद्र सरकार को ऐसे 'प्रपत्र' के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है जिसके द्वारा अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के खंड (क) के पहले परंतुक के अंतर्गत जब्त किए गए समुद्री जहाज या अन्य चीजों को रिहा करने हेतु आवेदन किया जा सकता है। हालांकि, भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (न का विनियमनद्वारा मत्स्य विदेशी जलयानों) नियम, 1982 की जांच करने पर, यह पाया गया है कि उक्त 'प्रपत्र' को भारत का सामुद्रिक क्षेत्र विदेशी जलयानों)द्वारा मत्स्यन का विनियमन(नियम, 1982 के साथ अधिसूचित नहीं किया गया है। यदि उक्त उपबंध अर्थात धारा 9 (4)(क) के लिए नियम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किए गए है, तो इसका विवरण समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और यदि इसे अभी तक तैयार नहीं किया गया है, तो समिति यह पाकर विस्मित है कि अधिनियम की धारा 9 के खंड (क) के संबंधित उपबंध किस प्रकार लागू किए जा रहे हैं । समिति यह सिफारिश करती है कि मत्स्यपालन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियम विद्यमान हैं और यदि अभी तक नियम नहीं बनाए गए हैं, तो मंत्रालय/विभाग को उन्हें तत्काल बनाए और सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करे ताकि संबंधित प्राधिकरी किसी विवेकाधीन और स्वैच्छिक शक्ति का प्रयोग करने से बच सके। इसके अलावा, जब अधिनियम में नियमों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में समुद्री जहाजों आदि को छोड़ने के लिए आवेदन देने संबंधी उपबंध किए जाते हैं, तो उसका पालन किया जाना चाहिए ताकि मंत्रालय/विभाग को सौंपे गए वैधानिक दायित्व को पूरा किया जा सके। समिति चाहती है कि उसे इस प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत किए जाने के 6 माह के भीतर इस संबंध में वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाए।

<u>भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए भर्ती नियमों को तैयार करना /सभा पटल पर न रखे जाने के संबंध में</u>

2.5 मत्स्यपालन विभाग ने दिनांक 28.09.2022 को आयोजित समिति की ब्रीफिंग बैठक के लिए तैयार की गई पृष्ठभूमि में चार संस्थानों यथा, (i) भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई; (ii) केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, केरल; (iii) सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी, बैंगलोर; और (iv) राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण, कोच्चि की भर्ती नियमावली को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अंतर्गत तैयार/अधिसूचित कर लिया गया है, लेकिन अभी तक सदन में सभा पटल पर नहीं रखा गया है। विभाग ने यह भी सूचित किया कि उपर्युक्त संस्थानों की भर्ती नियमावाली को समय-समय पर डीओपीटी के निर्देशानुसार डीओपीटी, यूपीएससी तथा विधि और न्याय मंत्रालय के परामर्श से तैयार/संशोधित किया जा रहा है।

2.6 डीओपीटी ने संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नियम बनाए जाने के संबंध में एक स्पष्टीकरण के उत्तर में दिनांक 07.02.2023 के कार्यालय ज्ञापन एच-11013/02/2023-संसद के माध्यम से यह बताया कि पीएसयू, संस्थानों, स्वायत्त निकायों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र सोसायटी या किसी अन्य संगठन के कर्मचारियों के संबंध में भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों को संसद की संविधि/अधिनियम के उपबंधों अथवा उन उपबंधों जिसके माध्यम से वे अस्तित्व में आए हैं, के अनुसार तैयार किया जाना है। समिति यह पाती है कि गैर-सांविधिक पीएसयू, संस्थानों, स्वायत्त निकायों, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वतंत्र सोसायटी के भर्ती नियम तैयार करने संबंधी सक्षमकारी उपबंधों के बारे में मत्स्यपालन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाले चार संस्थानों की तरह कोई स्पष्टता नहीं है, इसलिए, समिति चाहती है कि विभाग डीओपीटी तथा विधि और न्याय मंत्रालय से परामर्श करे और यदि डीओपीटी का मानना है कि भर्ती नियमों को संसद के अधिनियम या उन संविधियों के अनुसार तैयार/अधिसूचित किया जाना चाहिए, जिनके माध्यम से इन संस्थानों की स्थापना की गई थी, इसलिए, विभाग को तदनुसार इन चारों संस्थानों और विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के भर्ती नियमों की समीक्षा और उनमें संशोधन करना चाहिए तथा उन्हें अधिसूचित करना चाहिए। समिति चाहती है कि उसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर इस संबंध में की गई निर्णायक कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

2.7 समिति नोट करती है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक को लागू करके ऐसी संस्थाओं के लिए तैयार किए गए/अधिसूचित किए गए भर्ती नियम को संसद के सभा पटल पर नहीं रखा जाता है और इस प्रकार वे विधायी जांच से बच जाते हैं। समिति यह भी नोट करती है कि हालांकि संसद के विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा बनाई भर्ती नियमावली को सदन के सभा पटल पर रखा जाता है और कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को भी सदन के सभा पटल पर रखा गया है। इस प्रकार, समिति को मत्स्यपालन विभाग की यह दलील पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को संसद के सभा पटल पर रखना प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों के लिए अनिवार्य नहीं था।

2.8 समिति आगे नोट करती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत अधिसूचित भर्ती नियमावली को संसद के सभा पटल पर रखने के लिए, डीओपीटी ने दिनांक 07.02.2023 के अपने कार्यालय ज्ञापन के द्वारा यह बताया है कि हालांकि भर्ती नियम की प्रकृति संविधिक हैं और इनकी अधिसूचना की प्रतियों को संसद के दोनो सदनों के सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 309, जिसके अंतर्गत इन नियमों को बनाया गया है, उसमें ऐसे नियमों को संसद के सभा पटल पर रखने के लिए कोई अनिवार्य उपबंध नहीं है। तथापि, समिति का यह विचार है कि यद्यपि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत नियम को सभा पटल पर रखने के संबंध में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है, लेकिन यह नियम ऐसा करने का निषेध भी नहीं करता है।

2.9 इस संदर्भ में, संसद के पटल पर नियम आदि रखने संबंधी संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पैरा संख्या 11.5.4 (v) की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नवत है:-

> ***"(v) सांविधिक आदेश, विशेषकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत अधिसूचित आदेशों को संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों द्वारा संसद के पटल पर अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए और वे मंत्रालय इसके गैर-अनुपालन की स्थिति में उत्तरदायी होंगे।"***

2.10 इस प्रकार, अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को सभा पटल पर नहीं रखने के संबंध में किसी स्पष्ट उपबंध के अभाव में, समिति का मानना है कि अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए नियम यह सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक संवीक्षा के अध्याधीन होंगे कि वे स्वैच्छिक, अतार्किक नहीं हैं और किसी के पक्षपात और मनमानी पर आधारित न हो तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो। अत: समिति सिफारिश करती है कि संघ के कार्यों के संबंध में अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को अनिवार्यत: अधीनस्थ विधान को सभा पटल पर रखने की निर्धारित समय सीमा, अर्थात अधिसूचना के 15 दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। इसलिए, विभाग को इस मामले में डीओपीटी से परामर्श करना चाहिए और इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर इस संबंध में की गई निर्णायक कार्रवाई से समिति को अवगत कराना चाहिए।

2.11 समिति संसदीय कार्य मंत्रालय से इस मामले को गंभीरता से लेने और अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण सहित, अधीनस्थ विधान तैयार करने और सभा पटल पर रखने संबंधी कार्य करने के लिए एक त्रटिहीन तंत्र विकसित करने का भी आग्रह करती है, ताकि समय-समय पर समिति द्वारा दोहराई जाने वाली सिफारिशों तथा इस संबंध में अधीनस्थ विधान से संबंधित संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका में भी संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विहित विंदुओं के अनुसार स्थापित प्रक्रियाओं की अज्ञानता के कारण निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन में कोई ढिलाई न बरती जाए।

<u>संसदीय प्रक्रिया नियम पुस्तिका के अनुसार मंत्रालय / विभाग के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया</u>

2.12 समिति आगे नोट करती है कि संसदीय प्रक्रिया नियम पुस्तिका के पैरा संख्या 11.5.4 के अनुसार, सभी प्रकाशित राजपत्र अधिसूचनाओं को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 4 और धारा 8 के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट www.egazette.nic.in पर तुरंत अपलोड किया जाएगा और अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए सभी सांविधिक आदेशों और नियमों की तीन प्रतियां अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (सीओएसएल) को भेजी जाएंगी। राजपत्र के भाग-II खंड 3(i), 3(ii) और 4 में प्रकाशित होते ही अधिसूचना की एक सॉफ्ट कॉपी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति द्वारा जांच एवं अभिलेख रखने के लिए, cosl-lss@sansad.nic.in ईमेल पर भेजी जाएगी।

2.13 समिति यह नोट कर क्षुब्ध है कि मत्स्यपालन विभाग संसदीय प्रक्रिया की नियम पुस्तिका में यथा उल्लिखित प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का पालन नहीं करता है। समिति इस संबंध में विभाग के ढुलमुल रवैये की कड़ी निंदा करती है और यह आशा करती है कि सटीक सूचना उपलब्ध कराने संबंधी महत्वपूर्ण पहलू पर अवश्य ध्यान दिया जाएगा। इस प्रकार, समिति दृढ़ता से विभाग को इस मामले पर ध्यान देने और ई-गजट वेबसाइट पर अधिसूचित सभी नियमों/विनियमों/उप-नियमों को तुरंत अपलोड करने की जिम्मेदारी सौंपने और संसदीय प्रक्रिया नियम पुस्तिका में यथा निर्धारित प्रक्रियानुसार अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, लोक सभा को हार्ड कॉपी के साथ-साथ सॉफ्ट कॉपी भी भेजने की पुरजोर सिफारिश करती है। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

नई दिल्ली;
23 मार्च, 2023
02 चैत्र, 1945 (शक)

बालाशौरी वल्लभनेनी
सभापति,
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

परिशिष्ट-I

15/11/2021 तक

विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय / मत्स्य विभाग

अधिनियम का शीर्षक	अधिनियम सं./ अधिनियमित किए जाने की तिथि	अधिनियम की धाराएं जिनके अंतर्गत नियमों और विनियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है	अधिनियम की धाराएं जिनके अंतर्गत नियमों और विनियमों को बनाया गया	राजपत्र अधिसूचना का संख्या और दिनांक जिसमें नियम, विनियम प्रकाशित किए गए	लोकसभा/ राज्यसभा में नियमों और विनियमों को सभापटल पर रखे जाने की तिथि	अधिनियम की धाराएं जिनके अंतर्गत आज तक नियम और विनियम नहीं बनाए गए	नियम एवं विनियम (कॉलम 8) नहीं बनाए जाने की स्थिति में, लोकसभा, अधीनस्थ विधान समिति से मांगे गए समय विस्तार का ब्यौरा	यदि कॉलम 8 के संबंध में विस्तार की मांग नहीं की गई है, तो संक्षेप में उसके कारण
(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
भारत का सामुद्रिक क्षेत्र (विदेशी जलयानों द्वारा मत्स्यन का विनियमन) अधिनियम, 1981	28 सितंबर, 1981	लागू नहीं	धारा 25	दिनांक 26 अगस्त 1982 सा.का.नि. 619 (अ) के द्वारा अधिसूचित नियम	उपलब्ध नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005	23 जून, 2005	नियम बनाने के लिए धारा 24 और विनियम बनाने के लिए धारा 25	धारा 24 (नियम) और धारा 25 (विनियम)	दिनांक 22 दिसंबर, 2005 सा.का.नि. 740 (अ) के द्वारा अधिसूचित नियम दिनांक 08 मार्च, 2008 राजपत्र अधिसूचना के द्वारा अधिसूचित विनियम	फाइल का पता नहीं चल रहा है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिशिष्ट-II

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2021-2022) की बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को हुई चौंतीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति (2021-2022) की चौंतीसवीं बैठक बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 1200 बजे से 1345 बजे तक समति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. श्री चन्देश्वर प्रसाद
4. श्री एनप्रेमचन्द्रन .के .
5. श्री सुरेश कुमार पुजारी
6. श्री नामा नागेश्वर राव
7. श्री संजय सेठ
8. श्री बी. मणिक्कम टैगोर
9. श्री राम कृपाल यादव
10. डॉ अमर सिंह

सचिवालय

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री मुरलीधरन पी. - निदेशक
3. श्रीमती जागृति तेवतिया - अपर निदेशक

साक्षियों की सूची

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(**मत्स्यपालन विभाग**)

क्र.सं.	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**
1.	श्री जतींदर नाथ स्वेन	सचिव
2.	डॉ. जुज्जावारापु बालाजी	संयुक्त सचिव
3.	श्री सागर मेहरा	संयुक्त सचिव
4.	डॉ. सी. सुवर्णा	मुख्य कार्यपालक (एनएफडीबी)
5.	डॉ. वी. कृपा	सदस्य सचिव, सीएए
6.	श्री शंकर एल.	संयुक्त आयुक्त

2. सर्वप्रथम, सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को विभाग तथा तटीय जलकृषि (मत्स्यपालन विभाग) प्राधिकरण द्वारा प्रशासित एवं विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास (एनएफडीबी) बोर्ड, मात्स्यिकी संस्थानों जैसे भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं

इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान**,** केरल (सिफनेट(, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरी**,** (सीआईसीईएफ(बैंगलोर, राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण**,** कोच्चि द्वारा लागू किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमोंयमों आदि विषय पर संक्षिप्तविनि/ जानकारी देने के लिए बुलाया गया। समिति की बैठक में विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के बाद, सभापति ने बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में अध्यक्ष द्वारा निदेशों के निदेश 55(1) की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया।

3. परंपरागत परिचय के बाद, विभाग के सचिव ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुति दी जिसमें विभाग और मत्स्यपालन विभाग के अधीन कार्यरत अधीनस्थ और स्वायत्त संगठनों के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रतिनिधि ने, देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की प्रमुख योजना यथा प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना आदि के बारे में (पीएमएमएसवाई)संक्षिप्त जानकारी दी। प्रतिनिधि ने, विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से बताया यथा, (i) तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत तटीय क्षेत्रों में तटीय जलकृषि से जुड़ी गतिविधियों के विनियमन संबंधी; और)ii) भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम (विदेशी जलयानों मत्स्यन का विनियमन), 1981 के अंतर्गत भारतीय जल क्षेत्र में विदेशी जहाजों द्वारा मत्स्यन का विनियमन संबंधी आदि।

4. तत्पश्चात, समिति ने, देश में मत्स्यपालन क्षेत्र के विकास के लिए अनुसंधान परिणाम की गुणवत्ता में सुधार और अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की प्रासंगिकता, प्रौद्योगिकी विकास के लिए विभाग द्वारा की गई विभिन्न पहलों, तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के लिए अनुसंधान विकास के बुनियादी ढांचे में प्रगति, देश में अनुसंधान संस्थानों की बृद्धि संख्या, मछुआरों को कौशल विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना, अनुसंधान विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रावधान, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के लिए सभी राज्य सरकारों के लिए संसाधनों का एक समान वितरण, बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मछुआरों को होने वाली कठिनाईयों से संबंधित मुद्दे, एसईजेड में संचार नेटवर्क के विकास से संबंधित मुद्दे आदि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा।

5. समिति ने चार मात्स्यिकी संस्थानों नामतः भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मुंबई, केंद्रीय मत्स्य नौचालन एवं इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोच्चि, तटीय मीन उद्योग, तटीय इंजीनियरी संस्थान, बेंगलुरु, और राष्ट्रीय मात्स्यिकी पोस्ट हार्वेस्ट प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण संस्थान, कोच्चि से संबंधित भर्ती नियमों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर नहीं रखे जाने के संबंध में भी स्पष्टीकरण मांगा।

6. समिति द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विभाग के प्रतिनिधियों ने स्पष्टीकरण दिया। कुछ प्रश्नों, जिनके संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधियों के पास तत्काल जानकारी उपलब्ध नहीं थी, उनके संबंध में सभापति ने 15 दिनों के भीतर लोक सभा सचिवालय में लिखित उत्तर उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

7. सभापति ने समिति को विषय से संबंधित बहुमूल्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय (मत्स्यपालन विभाग) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

8 . <u>तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।</u>

बैठक की कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड अलग से रखा गया है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट-III

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (2022-2023) की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति (2022-23) की बारहवीं बैठक गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1530 बजे तक सभापति कमरा संख्या 209, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

1. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी — सभापति

सदस्य

2. श्री चन्देश्वर प्रसाद
3. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
4. श्री सुरेश पुजारी
5. डॉ. अमर सिंह
6. श्री बृजेन्द्र सिंह
7. श्री सु. थिरूनवुक्करासर
8. श्री राम कृपाल यादव
9. श्री अरविंद सावंत

सचिवालय

1. श्री वी. के. मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री मुरलीधरन पी - निदेशक
3. श्रीमती जागृति तेवतिया - अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात समिति ने निम्नवत प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(i) x x x x

(ii) x x x x

(iii) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में मत्स्यपालन विभाग द्वारा प्रशासित किए जा रहे विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अधीनस्थ विधान अर्थात् नियमों/विनियमों आदि को तैयार करने की स्थिति और नियमों/विनियमों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन।

(iv) x x x x

3. कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने उपर्युक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को बिना कोई परिवर्तन किए स्वीकार किया। समिति ने सभापति को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत भी किया।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

X कार्यवृत्त का छोड़ा गया भाग इस रिपोर्ट के लिए प्रासंगिक नहीं है